

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION CHENNAI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैद्य नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

N-07-00879

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरिसक्युअर्ड फाइनान्स एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

RSECURED FINANCE & CAPITAL PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में अक्तूबर

दो हजार

इक्कीस

की

ग्यारह

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

Chennai Office

this Eleventh

day of

October

Two Thousand Twenty one

एल एम गणेशन / L M Ganesan महाप्रबंधक / उप गहाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager

